राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6)विभाग

क्रमांक–प. 9(1)राज–6/2007 जयपुर,दिनांकः–22/7/2010

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

परिपत्र

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के भूमिविहीन सभी व्यक्तियों को कृषि एवं औद्योगिक उपयोग के लिये वेस्ट लैण्ड का आवंटन किये जाने के सबंध में चुनाव घोषणा पत्र में घोषणा की गई थी। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग एवं भूमिहीन व्यक्तियों को कृषि प्रयोजनार्थ राज0 भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियमों के अनुसार आवंटन किया जाता है एवं औद्योगिक उपयोग के लिये राजस्थान भू राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र आवंटन) नियम, 1959 में प्रावधान है। Rajasthan Land Revenue (Allotment of waste land for bio-fuel plantation and bio-fuel based industrial and processing unit) Rules, 2007 के नियमो के नियम 3 के अनुसार एस.जी.एस.वाय (SGSY) के अर्न्तगत गठित बी0पी0एल परिवारों के स्वंय सहायता समूह भूमि आवंटन का पात्र माना गया है। अतः निर्देशानुसार लेख है कि उक्त नियमों के अर्न्तगत आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के भूमि विहिन सभी व्यक्तियों को कृषि एवं औद्योगिक उपयोग के लिये नियमानुसार बजंर भूमि का आवंटन सबंधी प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार आवंटन किया जावें एवं Rajasthan Land Revenue (Allotment of waste land for bio-fuel plantation and bio-fuel based industrial and processing unit) Rules, 2007 के नियमो के नियम 3 के अनुसार एस.जी.एस.वाय (SGSY) के अर्न्तगत गठित बी0पी0एल परिवारों के स्वंय सहायता समूह को भूमि आवंटन को प्राथमिकता के आधार पर करवाने का कष्ट करें। जहां भूमि आंवटन के संबध में राज्य सरकार की अधिकारिता है वहां पर नियमों के अर्न्तगत अपनी अभिशंषा सहित प्रस्ताव राज्य सरकार को यथीशीघ्र भिजवाने का कष्ट करें।

22/7

उप शासन सचिव